

20/3/18 ~~कार्यालय के अधिकार उपा उपखण्ड अधिकारी~~
~~रानी सिंग 18/4/18 का पत्र है~~

24/1/18 निर्धारित तिथि का खलवायु दंड न 2002
पत्रवाली पेश हुई। वकील वादीगण/प्रतिवादीगण
उपस्थित। पीठचीन अधिकारी अन्य कार्य में
व्यस्त है/ ग्रहण पर है। पत्रवाली मत आदेशानुसार
दिनांक 18/6/18 को पत्र है।

श्रीमान न/
बाद आते
नया नमो
पत्र है
64
म.

18/6/18

उपखण्ड अधिकारी को देखा - नाम
डा. जे. ए. 2008 के पत्र है।
उपखण्ड पर वकील अधिकारी के अधिकार
के लिए कोर्टी-सुप्रीम कोर्ट के
द्वारा के कोर्ट के पत्र का वाद ही है।
एक खास सिद्धि है। उपखण्ड
के कार्य के लिए कोर्ट के पत्र
के लिए कोर्ट के पत्र के लिए कोर्ट के पत्र



उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)